न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा किया गया। पत्रावली का अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका है, अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।